न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/395

मिसलनम्बर– 34 / 2023

1.दुर्गादास पुत्र श्री सुन्दरदास जाति बैरागी मृतक
2.श्रीमति लालवती पत्नी श्री दुर्गादास जाति बैरागी निवासीगण 454 हनुमान बस्ती दादाबाड़ी कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.नवल किशोर पुत्र श्री दुर्गादास जाति बैरागी
2.श्रीमती कौशल्या उर्फ मुन्नी पत्नी श्री नवलकिशोर जाति बैरागी निवासी 454 हनुमान बस्ती दादाबाड़ी कोटा
3.अनिल कुमार पुत्र श्री नामालूम जाति जैन निवासी शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के पीछे महावीर नगर विस्तार योजना कोटा
4.नितिन उर्फ भोला पुत्र श्री नवल किशोर जाति बैरागी निवासी 454 हनुमान बस्ती दादाबाड़ी कोटा

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 25/10/24

उपस्थितिः–

1.श्री परवेज आलम प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.अप्रार्थी कम 1 स्वयं।
3.श्री नरेन्द्र व्यास अप्रार्थीगण कम 2, 3, 4 अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी कम 1 जो 80 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हैं, तथा आर.ए.सी. द्वितीय बटालियन कोटा से सेवानिवृत्त है। प्रार्थीया कम 2 श्रीमती लालवाती जो 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि प्रार्थी कम 1 के साथ निवास करती है। अप्रार्थी कम 1 व 2 प्रार्थीगण के पुत्र व पुत्रक्धू हैं, अप्रार्थी कम 3, अप्रार्थी कम 1 व 2 का जंवाई हैं, तथा अप्रार्थी कम 4, प्रार्थीगण का पौत्र व अप्रार्थी कम 1 व 2 का पुत्र है। प्रार्थीगण के एक पुत्र अप्रार्थी कम 1 नवलकिशोर व तीन पुत्रियॉ कमशः लक्ष्मी, सुनीता व संतोष है। जिनका विवाह प्रार्थीगण ने ही किया है। विवाह के पश्चात् वे अपने ससुराल में सुखपूर्व जीवनयापन कर रही हैं। अप्रार्थी कम 1 व 2, प्रार्थी के स्वअर्जित मकान में ही भूतल पर स्थित लेट–बॉथरूम व दो कमरे सहित निवासरत है। तथा शेष दो कमरो में प्रार्थीगण का सामान रखा हुआ हैं, तथा खुले स्थान पर बनी हुई कच्ची टापरी में प्रार्थीगण निवासरत है। प्रार्थी क्रम 1 उक्त मकान में वर्ष 1980 से निवासरत हैं, तथा प्रार्थी ने

उपखण्ड अधिकारी

मकान में चारो कमरो का निर्माण स्वंय की स्वअर्जित आय से करवाया है। इस प्रकार प्रार्थी व उसकी पत्नी ही उक्त मकान के मालिक व काबिज भी है। तथा उक्त मकान प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी कम– 1 का विवाह अप्रार्थी कम 2 से अपनी हेसियत अनुसार करवाया था। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी के साथ गाली–गलोच करते हैं, तथा मारपीट करते हैं, और प्रार्थीगण को उनके मकान से निकलने का दबाव बनाते है। तथा प्रार्थी कम 1 को जो पेन्शन प्राप्त होती हैं, उसे भी अप्रार्थीगण छीन लेते हैं, तथा प्रार्थीगण की पुत्रियॉ जब भी प्रार्थीगण से मिलने आती हैं, तो अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण से गाली गलोच करते हैं, और कहते है कि तुम इन्हे इस मकान में बुलाओंगे तो हम इनके साथ तुम्हे भी धक्के देकर निकाल देंगे। तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण का ना तो कोई भरण पोषण करते हैं, और ना ही ईलाज –उपचार करवाते हैं बल्कि उल्टा प्रार्थीगण से पैसो की नाजायज मांग करते है। तथा प्रार्थीगण को उनके निवास करने में व्यवधान उत्पन्न करते है। पूर्व में भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के साथ मारपीट की थी। जिसकी रिपोर्ट दिनांक 15.03.2021 व 21.05.2021 को थाना दादाबाडी में दर्ज करवाई थी, जिस पर भी अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही हुई। दिनांक 07.06,2023 को अप्रार्थीगण, ने प्रार्थीगण के साथ गाली–गलोच की, और प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने का प्रयास किया। इस कारण प्रार्थीगण के पास उक्त याचिका प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही है। अतः परिवाद प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश पारित किया जावें कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी कम 1 की पेंशन नही छीने, तथा प्रार्थीगण को उनके मकान में निवास करने में व्यवधान उत्पन्न नही करें, और ना ही उनके साथ गाली–गलोच व मारपीट करें, और प्रार्थीगण को उनके मकान से बेदखल नही करें। विकल्प में निवेदन है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के मकान से बेदखल किया जावें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी कम 1 की ओर से जवाब पेश नही किया गया अतः जवाब का अवसर ब[illegible] किया गया।

अप्रार्थी कम 2 व 4 की ओ[illegible] से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीया नं० 2 विवाह के पश्चात् [illegible]र्थीगण व अपने पति व पुत्र नितिन के साथ इसी मकान में शांति पूर्वक निवास करती चली [illegible] रही है। अप्रार्थीया नं० 2 व 4 ने कभी भी प्रार्थीगण को मकान से निकलने का कोई दबाव नहीं बनाया। प्रार्थीगण की पुत्रियों से कभी भी लडाई झगड़ा नहीं किया। बल्कि उनका [illegible]आदर सम्मान किया है। प्रार्थी नं0 1 पेंशनर है जिनको मासिक पैंशन मिलती है जिसमें प्रार्थ[illegible]गण अपना शांति पूर्वक गुजारा करते है अप्रार्थी नं0 1 व 2 ने कभी भी पेंशन की राशि उन[illegible]ो देने का दबाव नहीं बनाया। प्रतिपक्षीगण ने कभी भी प्रार्थीगण के साथ मारपीट नहीं की बल्कि उनका आदर मान किया है, रिपोर्ट झूठे तथ्यों पर लिखाई गयी है। प्रतिपक्षीगण ने कभी भी प्रार्थीगण को मकान से बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया ओर न बेदखल करने की धमकी दी बल्कि प्रार्थीगण शांति पूर्वक मकान मैं निवास कर अपना व जीवन यापन कर रहे [illegible]। तथा समय समय पर प्रतिपक्षी नं० 1–2 व 4 प्रार्थीगण को सम्भालते आ रहे है व बीमार [illegible]डने पर इलाज आदि कराते आ रहे है। प्रार्थीगण अन्य लोगों के बहकावे में आकर प्रार्थना [illegible]त्र केवल मात्र प्रतिपक्षीगण को मकान से बाहर निकालने के लिये आवेदन पत्र पेश किया है [illegible]ो खारिज होने योग्य है। विवाह के पश्चात् प्रतिपक्षी नं० 2 अपने पति प्रतिपक्षी नं० 1 के सा[illegible] पति पत्नी के रूप में इसी मकान में निवास करती चली आ रही है जहां प्रतिपक्षी नं0 4 का [illegible]न्म हुआ है। प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थी नं 1 सेवानिवृत्त व्यक्ति

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * कोटा *

उपखण्ड अधिकारी
को[illegible]

है जिसको पेंशन मिलती है जो अपने पास ही रखते है प्रतिपक्षीगण ने कभी भी उक्त पेंशन की राशि को उनको देने को नहीं कहा तथा प्रतिपक्षीनी नं० 2 ने हमेशा अपने सास ससुर प्रार्थीगण की सेवा सुश्रूषा करती चली आ रही है। प्रार्थीगण के साथ कभी भी गाली गलोच व बुरा बर्ताव नहीं किया है। और उनको मकान से निकलने की कोई धमकी नहीं दी है। मकान बहुत बडा है जिसमें तीन लेटबाथ व 6 कमरे बने हुये है तीन कमरे प्रार्थीगण के पास व तीन कमरे प्रतिपक्षीगण के पास है बीच में बडा चोक है प्रार्थीगण प्रतिपक्षीगण को घर से बाहर निकालना चाहते है इस हेतु उन्होने लेट बाथ पर ताला लगा दिया व पानी का नल भी बन्द कर देते, पानी नहीं भरने देते है लेट–बाथ के लिये बाहर सरकारी लेटरीन में जाना पड़ता है तथा प्रतिपक्षीनी नं० 2 को बाहर से पानी लाना पड़ता है। तथा प्रार्थीगण ने ही प्रतिपक्षीगण का रहना व जीना दूभर कर रखा है। अप्रार्थीया नं० 2 विवाह के बाद से ही इसी मकान में निवास करती चली आ रही है और झाडू पोचा कर अपनी गृहस्थी को चला रही है। यदि प्रतिपक्षीगण को मकान से बैदखल कर दिया गया तो प्रतिपक्षीगण बेघरबार हो जावेगें। अतः जवाब पेश कर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी कम 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीया नं० 2 विवाह के पश्चात् प्रार्थीगण व अपने पति व पुत्र नितिन के साथ इसी मकान में शांति पूर्वक निवास करती चली आ रही है। अप्रार्थी नं0 3 उक्त मकान मे निवास नहीं करता है ओर अप्रार्थी नं0 3 ने कभी भी प्रार्थीगण को मकान से निकलने का कोई दबाव नहीं बनाया। प्रार्थीगण की पुत्रियों से कभी भी लडाई झगडा नहीं किया। बल्कि उनका आदर सम्मान किया है। प्रार्थी नं० 1 पेंशनर है जिनको मासिक पैंशन मिलती है जिसमें प्रार्थीगण अपना शांति पूर्वक गुजारा करते है अप्रार्थी नं 1 व 2 ने कभी भी पेंश्न की राशि उनको देने का दबाव नहीं बनाया। प्रतिपक्षीगण ने कभी भी प्रार्थीगण के साथ मारपीट नहीं की बल्कि उनका आदर सम्मान किया है, रिपोर्ट झूठे तथ्यों पर लिखाई गयी है। प्रतिपक्षी नं 3 विवादित मकान में निवास नहीं करता है और नही कभी भी प्रार्थीगण को मकान से बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया ओर न बेदखल करने की धमकी दी बल्कि प्रार्थीगण शांति पूर्वक मकान में निवास कर अपना व जीवन यापन कर रहे है। तथा समय समय पर प्रतिपक्षी नं० 3 की पत्नी श्रीमती निशा प्रार्थीगण को सम्भालते आ रहे है व बीमार पडने पर इलाज आदि कराती आ रही है। प्रार्थीगण अन्य लोगों के बहकावे में आकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रतिपक्षी न० 3 को अनावश्यक पक्षकार बनाया है। प्रतिपक्षी नं० 3 की जानकारी के अनुसार प्रतिपक्षी नं0 2 विवाह के पश्चात् अपने पति प्रतिपक्षी नं० 1 के साथ पति पत्नी के रूप में इसी मकान में निवास करती चली आ रही है प्रार्थी नं0 1 सेवानिवृत्त व्यक्ति है जिसको पेंश्न मिलती है जो अपने पास ही रखते है प्रतिपक्षी नं० 3 उक्त मकान में निवास नही करता हे। प्रतिपक्षी नं 3 ने कभी भी उक्त पैशन की राशि को उसको देने को नहीं कहा तथा प्रतिपक्षीनी न0 2 ने हमेशा अपने सास ससुर प्रार्थीगण की सेवा सुश्रूषा करती चली आ रही है। प्रार्थीगण के साथ कभी भी गाली गलोच व बुरा बर्ताव नहीं किया है। और प्रतिपक्षी नें 3 ने प्रार्थीगण को मकान से निकलने की कोई धमकी नहीं दी है। प्रार्थी की जानकारी में है कि प्रतिपक्षी नं० 1 व 2 के एक पुत्र रितिक व एक पुत्री मोनिका ओर है जो इसी मकान में प्रतिपक्षीनी नं० 2 के साथ निवास करते है। यदि प्रार्थीगण द्वारा मकान खाली करा लिया गया तो प्रतिपक्षी नं० 1–2 व प्रार्थीगण के पौत्र रितिक व पौत्री मोनिका बेघरबार हो जावें । अतः जवाब पेश कर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण कम 2, 3, 4 की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में वर्णित तथ्यों पर मनन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान 454 हनुमान बस्ती दादाबाड़ी कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। किन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है वे प्रार्थीगण के साथ भविष्य में अभद्र व्यवहार एवं मारपीट ना करे एवं उपरोक्त वर्णित मकान 454 हनुमान बस्ती दादाबाड़ी कोटा में प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 26/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा